"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016—माघ 16, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से., संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ वक्फ सर्वे आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1148/393/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग का दिनांक 28-12-2015 से 05-01-2016 तक 09 दिवस का (दिनांक 27-12-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1150/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 04-01-2016 से 08-01-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 03, 09, 10-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्रमांक 08/444/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 02-01-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 03-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्रमांक 24/1033/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 02-01-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 03-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज आगामी आदेश तक उप सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एम. मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 41/783/अव./2015/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार भटनागर, उप-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 08-01-2016 तक 14 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 09, 10-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार भटनागर आगामी आदेश तक उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार भटनागर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 46/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 02-01-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 03-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 48/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दिनांक 11-12-2015 से 16-12-2015 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 50/31/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 02-01-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 03-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एमरेंसिया खेस्स अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 52/01/अव./2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, गृह विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 06-02-2016 तक 43 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 07-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 54/276/अव./2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दिनांक 26-12-2015 से 02-01-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 24, 25-12-2015 एवं 03-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक 58/3553/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. एच. यूसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) का दिनांक 16-11-2015 से 20-11-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 14, 15, 21, 22-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. यूसुफी आगामी आदेश तक लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. एच. यूसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. यूसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक 84/980/अव./2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग का दिनांक 11-01-2016 से 22-01-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 09, 10-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 147/670/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का दिनांक 01-02-2016 से 06-02-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 31-01-2016 एवं 07-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकार आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 150/933/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 14-12-2015 से 08-01-2016 तक 26 दिवस का (दिनांक 12, 13-12-2015 एवं 09, 10-01-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. ठाकुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. आर. ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 152/2748/अव./2015/1-8/स्था.—श्री नीरज कुमार मिश्रा (रा.वि.से.), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 23-11-2015 से 28-11-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 21, 22, 29-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार मिश्रा आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 180/132/अव./2007/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र गुप्ता, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का दिनांक 15-02-2016 से 19-02-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 13, 14, 20, 21-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र गुप्ता आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वीरेन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 6-68/2009/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :—

क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिले/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्यदायित्वों का निर्वहन करेंगे.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उदिता ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, अंबिकापुर.	प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, शाखा कार्यालय ग्राम पंचायत-भनौरा, धरती पीपल के पास बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	राजस्व जिला बलरामपुर
2.	छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्थान, कोरिया.	रामपुरपारा, एसईसीएल कॉलोनी, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)	राजस्व जिला कोरिया

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अर्शिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसायटी, जगदलपुर.	एक्सिस बैंक के सामने, चौहान विला (सेकण्ड फ्लोर) नयापारा जगदलपुर.	राजस्व जिला जगदलपुर

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/आर-1708/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार श्री निर्मल सिन्हा, ग्राम पो. हसौद (बिर्रा) जिला-जांजगीर-चांपा को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो, बी.एस.बी.के. हाउस के सामने, नंदिनी रोड, पावर हाउस, भिलाई, जिला दुर्ग को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-1/2007/43.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-04-2007 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में श्री खुबचंद पारख को बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष आगामी आदेश पर्यन्त नामांकित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29-1.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम व पता (2)	अनारक्षित/महिला (3)	जिला उपभोक्ता फोरम (4)
1.	कुमारी रूपा शर्मा, रामसागर पारा (शिवचौक), धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) पिन-493773.	अनारक्षित	धमतरी
2.	श्री छबीलेश्वर जोशी, ग्राम एवं पोस्ट-कुम्हरावण्ड, तहसील एवं विकासखंड-जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)	अनारक्षित	बस्तर
3.	श्री नवनीकान्त दत्ता, मायापुर, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन-497001.	अनारक्षित	सरगुजा
4.	श्रीमती रीता बरसैंया, 9/73, श्याम-छाया, भारतीय नगर, बिलासपुर (छ.ग.)	महिला	बिलासपुर
5.	श्रीमती आरती कुशवाहा, ग्राम एवं तहसील रामानुजनगर (श्रीनगर), थाना एवं तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) पिन-497333.	महिला	सूरजपुर
6.	श्री राजेन्द्र कुमार पाध्ये, बुद्ध विहार चौक, शंकर नगर रोड, आर्यनगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन-491001.	अनारक्षित	दुर्ग
7.	श्रीमती अलका देशमुख, मकान नं. 111, कमला कॉलेज रोड, श्रृष्टि कॉलोनी राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.).	महिला	राजनांदगांव
8.	श्री सुनील कुमार बाजपेयी, बलदेवबाग वार्ड नं. 14, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	अनारक्षित	राजनांदगांव
9.	श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता, वार्ड क्रमांक 13, अम्बिकापुर रोड, रामानुजगंज, पोस्ट एवं थाना व तहसील-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	महिला	बलरामपुर
10.	श्री बालेश्वर राम, ग्राम मंहगई, पो.-जिगड़ी, विकासखण्ड-राजपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	बलरामपुर
11.	श्री तेजेन्द्र कुमार चन्द्राकर, वार्ड नं. 2 इमली भाटा, राठौर आटा चक्की के पास, डॉ. एन. सिंग के मकान के पीछे, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	अनारक्षित	महासमुंद

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्य के पद

पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक पुनर्नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम व पता (2)	जिला उपभोक्ता फोरम (3)
1.	श्री प्रमोद वर्मा, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर
2.	श्री विमलकान्त गुप्ता, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, कोरिया (छ.ग.)	कोरिया
3.	सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, धमतरी (छ.ग.)	धमतरी
4.	श्रीमती किरण जायसवाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)	सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29-1/64.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, अवर सचिव.

Naya Raipur, the 18th January 2016

No. F 5-6/Food/2010/29-1.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1-A) of section 10 of Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Government hereby appoints following candidates as Member, District Consumer Disputes Redressal Forum, mentioned against each name as per recommendation of selection committee for 5 years or 65 years of age, which ever is earlier from the date of their joining :—

No. (1)	Name & Address (2)	Unreserved/Female (3)	District Consumer Forum (4)
1.	Ms. Roopa Sharma, Ramsagar Para (Shivchouk), Dhamtari, Dist.-Dhamtari (C.G.) Pin-493773.	Unreserved	Dhamtari
2.	Shri Chhabileshwar Joshi, Village & Post-Kumhravand, Tahsil & Block-Jagdalpur, Dist.-Bastar (C.G.)	Unreserved	Bastar
3.	Shri Navnikant Dutta, Mayapur, Chandi Chouk, Khairbar Road, Ambikapur, Dist.-Surguja (C.G.) Pin 497001.	Unreserved	Surguja
4.	Smt. Reeta Barsaiyan 9/73, Shyam-Chhaya, Bhartiya Nagar, Bilaspur (C.G.).	Female	Bilaspur

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Smt. Arti Kushwaha, Village & Tahsil-Ramanujnagar, (Shrinagar) Thana & Tahsil Ramanujnagar, Dist.-Surajpur (C.G.) Pin-497333.	Female	Surajpur
6.	Shri Rajendra Kumar Padhye, Buddh Vihar Chouk, Shankar Nagar Road, Aryanagar, Durg, Dist.-Durg (C.G.) Pin-491001.	Unreserved	Durg
7.	Smt. Alka Deshmukh, H. No. 111, Kamla College Road, Shristi Colony, Rajnandgaon, Dist. Rajnandgaon (C.G.)	Female	Rajnandgaon
8.	Shri Sunil Kumar Bajpayee, Baldevbag, Ward No. 14, Rajnandgaon, Dist.-Rajnandgaon (C.G.)	Unreserved	Rajnandgaon
9.	Smt. Jyotsana Gupta, Ward No. 13, Ambikapur Road, Ramanujganj, Post and Thana and Tahsil Ramanujganj Dist.-Balrampur (C.G.)	Female	Balrampur
10.	Shri Baleshwar Ram, Village-Mangai, Post-Jigadi, Block-Rajpur, Dist.-Balrampur (C.G.)	Unreserved	Balrampur
11.	Shri Tejendra Kumar Chandrakar, Ward No. 2, Imali Bhata, Near Rathor Ata Chakki, Behind the house of Dr. N. Singh, Dist.-Mahasamund.	Unreserved	Mahasamund

2. In exercise of powers conferred by the sub section (2) of section 10 of Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Government hereby re-appoint following candidates as Member, District Consumer Disputes Redressal Forum, mentioned against each name as per recommendation of selection committee for 5 years or 65 years of age, which ever is earlier from the date of their joining :—

No. (1)	Name & Address (2)	District Consumer Forum (3)
1.	Shri Pramod Verma, Member, District Consumer Forum, Bilaspur.	Bilaspur
2.	Shri Vimalkant Gupta, Member, District Consumer Forum, Koriya.	Koriya
3.	Ms. Preeti Shrivastava, Member, District Consumer Forum, Dhamtari.	Dhamtari
4.	Smt. Kiran Jaiswal, Member, District Consumer Forum, Surguja.	Surguja

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Under Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-32/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री दाऊलूरी श्रवण, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, सुकमा को दिनांक 26-12-2015 से 08-01-2016 (कुल 14 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24, 25 दिसम्बर, 2015 एवं 09, 10 जनवरी 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाऊलूरी श्रवण आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सुकमा छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रवण को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. श्री दाऊलूरी श्रवण, पुलिस अधीक्षक, सुकमा छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, सुकमा का प्रभार श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुकमा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रवण, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

संशोधन

क्रमांक एफ 3-60/2013/गृह-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16-05-2013 के द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत सेजबहार में नवीन पुलिस थाना स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत नवीन थाना सेजबहार का नाम परिवर्तित कर थाना मुजगहन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्र. 13 सन् 1984) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में, शब्द "मासिक" के स्थान पर, शब्द "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 5 में,—
   (क) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(2) आरा मिल के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क रु. 300 तथा आरा गड्ढे के लिये रु. 30 होगा."

   (ख) उप-नियम (4) में शब्द "एक कैलेण्डर वर्ष के लिये" के स्थान पर, शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष के लिये" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 6 के उप-नियम (3) में, शब्द तथा अंक "आगामी मास की दस तारीख तक, न कि उसके पश्चात्" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "आगामी त्रैमास के प्रथम मास की 10 तारीख तक न कि उसके पश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2 दिनांक 31-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

No. F 6-8/2010/10-2.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Chhattisgarh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Kashtha Chiran (Viniyaman) Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 22 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rule,—

1. In clause (d) of sub-rule (2) of rule 4, for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted.

2. In rule 5,—
   (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely —
   "(2) The application fee for the renewal of license for saw mill shall be Rs. 300 and sawpits shall be Rs. 30."

   (b) in sub-rule (4), for the word "for a calendar year", the words "for three calendar years" shall be substituted.

3. In sub-rule (3) of rule 6, for the words and figure "not later than 10th of the following month", the words and figure "not later than 10th of the first month of the next quarter" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-2/2001/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 84 (i) (a) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री श्रीनिवास राव मद्दी को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रायपुर के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6) 52.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री चंद्रशेखर पाड़े को छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड, रायपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

संशोधित

क्रमांक एफ 7-33/2015/32.—समसंख्यक सूचना दिनांक 07-1-2016 के अनुसार महासमुंद विकास योजना 2031 का अनुमोदन किया गया है उक्त सूचना के पैरा 2 के बिन्दु क्रमांक 1 में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के स्थान पर सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुंद पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-1/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कुसमी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

कुसमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम करकली पश्चिम, करकली पूर्व, सेमरा, कंजीया, गजाधरपुर, नटवर नगर एवं घुटराडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम घुटराडीह, रातासिली एवं रामनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम रामनगर, शाहपुर, कुसमी, पकरीटोली, कंचनटोली, नीलकण्ठपुर एवं नवाडीहा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम नवाडीहा, करकली पूर्व एवं करकली पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बालोद के डौंडी निवेश की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गुठानीपाली प.ह.नं. 42	0.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्रमांक 05.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	जोगीदादर प.ह.नं. 41	0.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्रमांक 08.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 08/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	चारभांठा प.ह.नं. 42	2.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्रमांक 04.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	सिंगबहाल प.ह.नं. 42	1.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्रमांक 02 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बोईरमाल प.ह.नं. 38	2.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्रमांक 17/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	काकेनचुंवा प.ह.नं. 03	1.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अमरकोट व्यपवर्तन के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-माड़ाकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
351/1	1.50
156	1.07
151/1	0.67
77	0.16
313	0.04
359	0.15
363	0.48
364/1	2.54
169	0.70
174	0.34
314	0.03
325	0.53
328	0.50
329	0.14
332	1.83
319	0.05
334	0.60
157/1	0.50
157/2	0.22
157/3	1.18
349	0.56
(1)	(2)
58/9/2	0.19
324/1	0.08
159/1	0.69
159/2	0.06
353	0.56
364/2	0.40
365	0.16
351/2	0.40
352	0.04
307	0.10
323	0.57
333	0.74
361	0.68
362	0.10
355	1.48
360	0.42
350/3	0.07
366/2	1.55
350/4	0.06
351/3	0.18
304/2	0.12
304/3	0.06
315	0.12
326	0.10
330	0.07
198/2	0.02
159/3	0.18
159/4	0.20
160	0.13
163/2	0.08
173	0.34
327	0.19
324/2	0.07
151/2	0.20
153/1	1.44
155	0.88
175	0.94
335	2.90
350/1	2.56
344	1.51
345	2.00
346	0.35
347	0.18
348	0.99
308	0.38
350/2	0.07
82	0.10
154	0.32

(1)	(2)
171	0.13
177	0.20
151/3	0.67
152	0.18
153/2	0.48
331	0.08
161	0.35
159/5	0.50
79	0.08
78/1	0.32
83	0.13
78/2/1	0.24
78/5	0.16
योग	42.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-दशरमा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46	0.100
290/1	0.016
291	0.085
292	0.154
294	0.016
715/1	0.004
48	0.382
296	0.076
218	0.073
47/1, 47/4	0.235
47/3	0.121
47/5	0.142
217	0.070
219	0.028
802	0.105
805	0.055
806/1	0.030
807/1, 807/2	0.044
813	0.110
808	0.061
205	0.016
206/1	0.303
206/4	0.040
581	0.085
580	0.130
715/3	0.166
763	0.036
765	0.101
810	0.081
715/2	0.061
738/1	0.040
738/2	0.141
749/1	0.122
749/2	0.024
767	0.024
764	0.090
39	0.012
809/3	0.018
768/3	0.093
811	0.105
582	0.032
215	0.162
809/2	0.029
293/3	0.272
293/1	0.105

(1)	(2)
293/2	0.137
544/3	0.303
229	0.141
221	0.061
216	0.057
214	0.061
201	0.072
562	0.195
563	0.231
747, 748	0.279
574/3	0.137
578	0.065
199/2	0.040
204/2	0.145
220	0.032
809/1	0.028
200/1	0.020
812/1	0.081
200/2	0.101
812/2	0.073
737/3	0.184
योग 66	6.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.545 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
940	0.012
943	0.004
1084	0.081
1085	0.150
1175	0.032
1176	0.024
1209	0.242
योग	0.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.753 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1771/2	0.081
2215	0.113
2223/3	0.066
1775	0.057
2216/2	0.081
2223/4	0.024
1776	0.121
2220	0.053
1807/2	0.125
1803/1	0.016
2236	0.275
1803/2	0.016
2216/1	0.457
1806	0.065
2221	0.036
1807/1	0.029
2223/1	0.138
योग	1.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरिमा हवाई पट्‌टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-दरिमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.957 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
893/1	0.317
896/3	0.146
975/1	0.267
903/4	0.012
952	0.040
967	0.247
953	0.025
962	0.158
981	0.101
973	0.162
895	0.032
896/4	0.089
976/1	0.036
903/2	0.405
948	0.105
965/1	0.477
954	0.073
963	0.409
982	0.551
974/2	0.026
896/1	0.316
899/1	0.198
977/1	0.026
903/3	0.263
949	0.097
950	0.121
955	0.150
965/2	0.377
983	0.462
975/2	0.267
894	0.125
896/5	0.085
899/3	0.049
943	0.089
957	0.898
945	0.045
956/1	0.477
964	0.198
968	0.166
976/2	0.037
898	0.162
899/2	0.198
899/4	0.048
944	0.049
958	0.089

(1)	(2)
951	0.053
956/2	0.389
978	0.065
971/1	0.296
977/2	0.027
896/2	0.073
897	0.037
902/1	0.053
946	0.049
959	0.089
969	0.016
960	0.142
979	0.142
971/2	0.125
936/2	0.583
881/2	0.040
974/1	0.027
902/2	0.099
947	0.016
966	0.032
970	0.441
961	0.713
980	0.858
972	0.922
योग	13.957

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोतीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
457	0.085
570/4	0.092
451/1	0.058
455/2	0.199
463/3	0.053
456	0.211
572/3	0.081
462/3	0.008
572/2	0.008
458	0.024
444/2	0.004
462/5	0.008
464/2	0.008
459	0.158
455/1	0.243
462/4	0.008
572/1	0.004
463/1	0.291
464/1	0.070
462/6	0.008
463/2	0.182
571	0.032
451/2	0.016
462/7	0.008
570/1	0.092
570/2	0.035
569	0.110
570/3	0.016
योग	2.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 446/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 09-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-घुड़ावर/जैतपुरी, प.ह.नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	684	0.08
	694	0.06
	683/2	0.03
	68/2	0.03
	71/1	0.12
	71/2	0.04
	68/1	0.04
	68/3	0.01
योग	8	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-घुड़ावर-जैतपुरी-दुधावा मार्ग के कि.मी. 29/2 पर जैतपुरी नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 448/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 08-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-बेलरगांव, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	993	0.01
	994	0.02
	995	0.02
	1011	0.02
	1015	0.02
	1016	0.02
	1017	0.01
योग	7	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बेलरगांव-घुड़ावर-जैतपुरी मार्ग के कि.मी. 19/2 पर बेलरगांव नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 451/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 07-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-नगरी

(ग) नगर/ग्राम-जरहाखार, प.ह.नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.30
13	0.04
20	0.01
21/2	0.02
22	0.02
24/2	0.03
45	0.07
25	0.06
46	0.08
27	0.15
52	0.15
28	0.07
32/1	0.03
70/3	0.09
32/2	0.02
70/2	0.06
35	0.18
36	0.20
37	0.05
38/3	0.08
44	0.04
47	0.01
51	0.13
53	0.13
70/1	0.07
73	0.40
74	0.11
91	0.31
92	0.06
136	0.10
135	0.35
145	0.14
134	0.02
146	0.07
147	0.10
148	0.08
149	0.08
150	0.20
154/1	0.10
151	0.03
167	0.50
152	0.15
155	0.12
162/1	0.03
161	0.22
163	0.02
योग 46	5.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 453/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 06-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-नगरी

(ग) नगर/ग्राम-साल्हेभाट, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41	0.14
43	0.09
44	0.03
45	0.06

	(1)	(2)
	46	0.07
	47	0.05
	48	0.13
	50	0.03
	51	0.11
	53	0.02
	52	0.11
	58	0.08
	59	0.13
	61	0.30
	62	0.09
	69	0.42
	70	0.05
	77	0.07
	78	0.04
	83	0.06
	84	0.02
	89	0.06
	144/2	0.22
	157	0.10
	319	0.03
	330	0.17
	323	0.03
	324	0.09
	331	0.03
	332	0.02
	117	0.04
	118	0.11
योग	32	3.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 455/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 05-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनी, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2554	0.14
	2555	0.16
	2556	0.03
	2563	0.04
	2564	0.04
	2565	0.05
	2566	0.12
	2567	0.17
	2571	0.12
	2573/1	0.03
	2557	0.03
	2581	0.15
योग	12	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 457/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरेल, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	808	0.14
	810/1	0.16
	810/2	0.10
	815	0.06
	553	0.08
	850/4	0.17
	858	0.11
	856	0.14
	850/1	0.04
योग	9	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 459/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 03-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बनबगौद, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	534	0.16
	538	0.15
	540	0.11
	541	0.08
	542	0.09
	675/1	0.16
	675/2	0.07
योग	07	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 461/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-सिरौदकला, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269/2	0.13
270	0.29
271	0.16

	(1)	(2)
	272	0.27
	276/3	0.03
योग	5	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 463/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बरबांधा, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26	0.17
योग	1	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-फुटहामुड़ा नहर योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक 487/कले./भू-अर्जन/अ.वि.अ./प्र.क्र. 10-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-हितली, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131	0.06
	133	0.03
	134	0.04
	135	0.01
योग	4	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बगरूमनाला-हितली मार्ग के कि.मी. 1/10 में सलेरिया नाला (आमानाला) पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक 28/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	78/1	0.295
योग	1	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री-गोमदा मार्ग पर हसदेव नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	241/2	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दैजा जोगीपुर मार्ग पर करूवा नाला में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

क्रमांक 26/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-उमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/2	0.125
102/1	0.053
योग 2	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दैजा जोगीपुर मार्ग पर करूवा नाला में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2015-16/5786.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, मॉ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2015-16 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	63	2658.53
		सूरजपुर	36	1010.02
		राजपुर	25	1432.39
		अंबिकापुर	20	106.59
		लखनपुर	4	5.00
2.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	लुण्ड्रा	67	1305.49
		बतौली	36	556.86
		सीतापुर	9	25.44
		योग	**260**	**7100.30**

संलग्न :— ग्रामों की सूची.

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

मॉ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर, ग्राम–केरता, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

विकासखण्डवार क्रय केन्द्र अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या, पेराई सत्र 2015–16

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकासखण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों के नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे.) में		
						पौधा	पेड़ी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कारखाना गेट	प्रतापपुर	1.	पम्पापुर (प्रतापपुर)	2	23.525	17.583	41.107
			2.	पल्ढ़ा	22	31.876	25.555	57.431
			3.	केरता	2	117.605	65.449	183.054
			4.	गौरा	15	36.377	35.376	71.752
			5.	भरदा	15	37.770	21.353	59.123
			6.	बगड़ा	22	61.555	32.006	93.561
			7.	धरमपुर	6	37.275	25.673	62.948
			8.	माड़ीडांड़	8	27.563	10.135	37.697
			9.	कोटेया	20	65.137	37.232	102.369
			10.	टुकुडांड़	18	56.081	55.827	111.908
			11.	सेमराकला	25	24.508	25.460	49.968
			12.	रामपुर	17	6.946	12.358	19.304
			13.	बैकोना	23	45.591	36.145	81.737
			14.	खजुरी (प्रतापपुर)	16	4.382	13.679	18.061
			15.	चांचीडांड़	16	34.931	33.418	68.349
			16.	कैराडांड़	19	6.824	14.406	21.229
			17.	सिलौटा	25	14.281	19.288	33.568
			18.	सिंघरा	11	44.850	35.772	80.622
			19.	सौतार	22	8.649	10.324	18.972
			20.	सिलफिली	23	42.383	28.521	70.904
			21.	करसी	26	38.856	35.237	74.093
			22.	सेंधोपारा	37	3.160	5.947	9.107
			23.	बरौल	17	0.700	0.200	0.900
			24.	रमगंवा	20	5.108	12.139	17.247
			25.	मायापुर–2	22	21.217	17.176	38.393
			26.	सोनगरा	24	59.908	40.291	100.199
			27.	सकलपुर	27	4.345	6.514	10.860
			28.	श्यामनगर	27	1.804	2.731	4.534
			29.	झिंगादोहर	27	5.048	3.183	8.230
			30.	मायापुर–1	20	15.518	8.493	24.010
			31.	खड़गवाकला	7	148.146	103.002	251.148
			32.	चन्दरपुर	12	37.240	18.628	55.868
			33.	सुखदेवपुर	12	38.824	15.872	54.696
			34.	बोझा	22	38.577	38.210	76.788
			35.	शंकरपुर	26	10.189	10.342	20.531
			36.	चंद्रेली	25	42.865	28.715	71.580
			37.	प्रतापपुर	15	8.893	7.462	16.355
			38.	खैराड़ीह	22	8.430	7.246	15.676
			39.	सोनपुर	24	22.559	43.678	66.237
			40.	दरहोरा	27	5.310	9.812	15.123

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कारखाना गेट	प्रतापपुर	41.	सेमई	20	9.844	12.701	22.544
			42.	दुरती	36	5.025	11.463	16.488
			43.	केवरा	25	9.262	11.561	20.823
			44.	गणेशपुर	11	22.221	21.712	43.933
			45.	मानपुर	5	25.871	10.088	35.959
			46.	मदननगर	10	40.962	25.817	66.780
			47.	जगन्नाथपुर	4	17.019	12.893	29.912
			48.	मरहठा	32	1.059	0.989	2.048
			49.	चन्द्रमेढ़ा	38	0.491	0.610	1.101
			50.	बुढ़ाडांड	23	9.947	8.245	18.192
			51.	मसंगा	23	9.342	17.556	26.898
			52.	कनकनगर	15	11.776	12.433	24.209
			53.	गोटगवां	12	13.249	8.586	21.835
			54.	सरहरी	25	6.633	5.082	11.715
			55.	चंदौरा (प्रतापपुर)	22	2.755	5.503	8.258
			56.	मकनपुर	25	6.785	2.975	9.760
			57.	नवाडीह (प्रतापपुर)	25	11.604	18.663	30.266
			58.	पोड़िपा (प्रतापपुर)	23	10.219	12.222	22.440
			59.	डुमरखोली	20	1.686	2.699	4.385
			60.	पेन्डारी	25	10.944	3.955	14.900
			61.	देवरी	25	3.673	2.908	6.581
			62.	लोलकी	22	0.440	1.780	2.220
			63.	रेवटी	45	2.040	0.000	2.040
				टोटल		**1477.653**	**1180.877**	**2658.530**
2.		सूरजपुर	1.	मोहनपुर	25	13.222	8.537	21.759
			2.	हरिपुर	21	75.008	63.698	138.705
			3.	पोड़िपा	15	36.804	15.465	52.268
			4.	सुंदरगंज	21	114.788	73.156	187.944
			5.	छत्तरपुर	13	20.232	16.969	37.201
			6.	रामेश्वरपुर	10	20.274	9.840	30.113
			7.	अखोराकला	17	59.975	48.256	108.231
			8.	मंजीरा	21	39.866	21.509	61.375
			9.	पाठकपुर	19	16.767	11.618	28.385
			10.	कल्याणपुर	13	66.800	47.734	114.534
			11.	लटोरी	27	6.103	11.169	17.272
			12.	द्वारिका नगर	30	9.577	14.736	24.312
			13.	रमेशपुर	41	5.200	9.271	14.470
			14.	सोनवाही	35	1.387	3.090	4.477
			15.	सेमरा, सम्बलपुर	35	1.760	0.689	2.449
			16.	बिहारपुर	40	2.719	4.462	7.181
			17.	जुड़वानी	37	2.223	3.863	6.086
			18.	करवां	34	3.647	5.713	9.360
			19.	तुलसी	35	30.164	35.162	65.326
			20.	बृजनगर	24	15.289	21.799	37.088
			21.	गंगापुर	34	3.276	5.539	8.815

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	कारखाना गेट	सूरजपुर	22.	हीराडबरी	30	1.612	0.911	2.523
			23.	अनुज नगर	32	1.386	3.543	4.928
			24.	महेशपुर (सूरजपुर)	30	1.805	1.997	3.801
			25.	चम्पक नगर	75	0.383	0.725	1.108
			26.	करंजी	43	0.461	0.491	0.952
			27.	रांई	43	0.421	0.633	1.054
			28.	करसु	38	0.361	0.374	0.735
			29.	बतरा	43	1.997	2.648	4.646
			30.	कसलगिरी	31	0.763	1.263	2.025
			31.	गजाधरपुर	35	1.375	2.242	3.617
			32.	कसकेला	38	0.768	0.730	1.498
			33.	नारायणपुर	40	0.173	1.125	1.298
			34.	रामनगर	55	0.483	0.879	1.362
			35.	कुरवां	35	0.772	1.253	2.025
			36.	कनकपुर	45	0.462	0.633	1.095
				योग		**558.299**	**451.719**	**1010.018**
3.		राजपुर	1.	नरसिंहपुर	54	64.996	63.190	128.187
			2.	चिलमाकला	53	1.089	2.678	3.767
			3.	मरकाडांड़	19	21.535	30.907	52.442
			4.	दुप्पी	16	37.314	61.994	99.308
			5.	चौरा	9	49.974	67.109	117.084
			6.	खोखनिया	9	26.298	41.921	68.220
			7.	रेवतपुर	15	55.648	73.792	129.440
			8.	धंधापुर	20	63.628	83.118	146.746
			9.	परसवार	18	19.910	22.516	42.426
			10.	खुखरी	22	25.722	31.955	57.677
			11.	भेलाईखुर्द	31	0.695	1.298	1.992
			12.	खोरड़ो	21	27.172	33.508	60.680
			13.	शिवपुर	19	24.478	15.539	40.017
			14.	कुन्दीकला	20	40.779	57.687	98.467
			15.	बदौली	20	79.748	112.669	192.417
			16.	सिधमा	22	9.530	23.649	33.179
			17.	अखोराखुर्द	21	56.184	42.175	98.359
			18.	परसागुड़ी	48	10.227	6.126	16.353
			19.	मदनेश्वरपुर	35	0.456	6.929	7.385
			20.	गोपालपुर	22	1.069	1.553	2.622
			21.	ककना	29	3.275	9.623	12.898
			22.	बघिमा	26	2.312	1.162	3.474
			23.	डकवा	23	5.970	7.248	13.218
			24.	मुरका (राजपुर)	21	0.578	2.960	3.538
			25.	आरा	35	1.980	0.517	2.497
				योग		**630.567**	**801.823**	**1432.390**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	कारखाना गेट	अम्बिकापुर (सरगुजा)	1.	करम्हा (अ. पुर)	35	0.692	1.578	2.271
			2.	रूखपुर	25	16.097	7.956	24.053
			3.	बलसेड़ी	25	9.948	10.239	20.186
			4.	भफौली	30	2.008	4.491	6.499
			5.	कुल्हाडी	27	2.718	1.944	4.662
			6.	किशुन नगर	23	0.999	0.968	1.967
			7.	कंचनपुर (अपुर)	30	11.410	13.223	24.632
			8.	दरिमा	43	0.260	0.387	0.647
			9.	परसा	40	1.806	2.385	4.191
			10.	लबजी	40	1.293	1.195	2.487
			11.	पम्पापुर (अ.पुर)	54	0.000	0.202	0.202
			12.	सोनबरसा	60	0.000	0.205	0.205
			13.	सकालो	20	1.085	2.232	3.316
			14.	भगवानपुर	40	1.260	1.265	2.525
			15.	खलीबा	30	0.000	0.495	0.495
			16.	मेन्ड्राखुर्द	35	0.317	0.690	1.007
			17.	घघरी	26	2.611	2.983	5.594
			18.	खजुरी (अम्बिकापुर)	50	0.170	0.000	0.170
			19.	ससकालो	50	0.600	0.448	1.048
			20.	छिन्दकालो	44	0.036	0.400	0.436
				योग		**53.307**	**53.285**	**106.592**
5.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	लुण्ड्रा	1.	देवरी	53	3.040	2.541	5.581
			2.	कुन्दीकला	61	0.000	1.113	1.113
			3.	झेराडीह	61	5.635	14.956	20.591
			4.	किरकिमा	63	0.000	4.309	4.309
			5.	चलगली 1	62	0.000	0.921	0.921
			6.	कोईलारी	66	0.000	2.642	2.642
			7.	सखोली	79	0.890	2.868	3.758
			8.	गंगोली	58	0.000	8.136	8.136
			9.	करौली	50	0.449	9.641	10.090
			10.	जमीरा	54	0.000	2.360	2.360
			11.	डुमकी	40	7.819	2.993	10.813
			12.	पड़ौली	38	2.516	5.530	8.046
			13.	बरकोल	74	2.254	1.447	3.701
			14.	डड़गांव	58	28.824	42.971	71.795
			15.	उदारी	53	6.382	67.534	73.916
			16.	बुलंगा	53	21.091	54.507	75.598
			17.	दोरना	59	8.244	19.804	28.049
			18.	करांकी	60	1.621	6.608	8.229
			19.	खालपोड़ी	61	9.628	40.320	49.948
			20.	चलगली (खालपोड़ी)	65	8.753	12.961	21.715
			21.	करगीडीह	50	0.000	16.744	16.744
			22.	बकना कला	62	0.000	4.786	4.786
			23.	डकई	57	0.867	1.392	2.259
			24.	नवडीहा	55	2.774	6.680	9.455

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	लुण्ड्रा	25.	ककनी	52	2.828	2.673	5.502
			26.	चितरपुर	63	0.000	1.493	1.493
			27.	डहौली	61	12.959	20.399	33.357
			28.	बहेराडीह	61	0.000	3.018	3.018
			29.	आमगांव	62	0.340	5.670	6.010
			30.	करेसर	64	0.000	2.457	2.457
			31.	ससोली	62	0.326	2.534	2.860
			32.	असकला	53	14.038	31.174	45.212
			33.	चोरकीडीह	50	2.369	8.953	11.322
			34.	सिकिलमा	49	1.320	3.513	4.833
			35.	कोट	50	4.030	34.705	38.735
			36.	महोरा	59	18.124	70.552	88.676
			37.	बटवाही	47	27.014	97.910	124.924
			38.	जरहाडीह	48	21.721	45.855	67.576
			39.	लमगांव	52	26.229	111.044	137.273
			40.	सिलसिला	55	1.810	6.337	8.147
			41.	पसेना	63	2.441	21.031	23.472
			42.	नागम	65	0.000	1.580	1.580
			43.	गुजरवार	60	0.143	0.185	0.328
			44.	सहनपुर	55	3.927	10.965	14.891
			45.	अगासी	55	4.003	5.966	9.969
			46.	घघरी	58	0.836	1.457	2.293
			47.	पटोरा	52	5.356	21.194	26.550
			48.	रघुनाथपुर	43	1.044	0.603	1.647
			49.	लुण्ड्रा	65	2.071	1.705	3.776
			50.	बदगरी (लुण्ड्रा)	64	0.492	5.580	6.071
			51.	बरगीडीह	60	13.695	8.096	21.792
			52.	तुरियाबीरा	57	16.435	30.708	47.143
			53.	राई	49	5.735	24.762	30.497
			54.	सेमरडीह	66	1.525	3.448	4.973
			55.	गंगापुर (लुण्ड्रा)	50	3.358	13.024	16.383
			56.	उंचडीह	61	0.348	5.645	5.993
			57.	चिरगा	60	0.000	1.730	1.730
			58.	बतौली (लुण्ड्रा)	50	0.000	1.824	1.824
			59.	पतराडीह	67	2.751	8.798	11.549
			60.	कोरंधा	65	0.000	2.384	2.384
			61.	पुरकेला	50	4.625	6.166	10.790
			62.	गड़बीरा	60	0.320	1.857	2.177
			63.	खुरन्डीह	50	10.373	13.570	23.943
			64.	जोरी	50	1.376	0.270	1.647
			65.	उपरपोड़ी	67	0.000	0.400	0.400
			66.	उरदरा	63	0.827	3.333	4.160
			67.	जराकेला	70	0.579	1.002	1.581
				योग		**326.155**	**979.336**	**1305.492**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	बतौली (जिला-सरगुजा)	1.	सुवारपारा	67	0.219	2.184	2.404
			2.	झरगांव	56	5.338	11.299	16.637
			3.	उमापुर	58	1.515	2.232	3.747
			4.	टेडगा	59	1.684	9.149	10.833
			5.	कच्छारडीह	72	0.587	2.428	3.015
			6.	चिरंगा	60	3.178	10.696	13.873
			7.	मांजा	59	0.791	3.935	4.725
			8.	बेलकोटा	53	0.000	2.125	2.125
			9.	देवरी	53	54.212	85.647	139.859
			10.	मंगारी	70	1.083	10.379	11.462
			11.	कपाटबहरी	74	0.673	8.665	9.337
			12.	पोपरंगा	63	7.389	7.765	15.155
			13.	बतौली	60	7.300	26.642	33.942
			14.	गहिला	51	8.246	22.412	30.658
			15.	बिरीमकेला	73	1.473	7.991	9.464
			16.	नयाबांध	85	0.379	1.539	1.917
			17.	सरमना	79	8.622	23.280	31.902
			18.	तेलईधार	88	6.321	11.319	17.639
			19.	बिशुनपुर	77	0.598	1.958	2.556
			20.	महेशपुर	74	0.358	7.424	7.782
			21.	पोकसरी	73	1.141	2.475	3.616
			22.	बासेन	66	0.000	2.019	2.019
			23.	पथरई	57	10.878	15.248	26.126
			24.	तरागी/बोदा	68	8.246	19.025	27.271
			25.	जरहाडीह	72	0.120	2.413	2.533
			26.	सिलमा	68	16.352	15.780	32.131
			27.	बिलासपुर	65	1.658	9.670	11.328
			28.	सल्याडीह	69	2.531	6.389	8.920
			29.	कुड़केल	74	6.666	10.898	17.564
			30.	सेदम	67	0.260	2.321	2.581
			31.	बासाझार	76	0.800	2.072	2.872
			32.	टिरंग	72	0.208	0.441	0.649
			33.	मानपुर	68	3.695	7.282	10.977
			34.	घोघरा	66	11.995	19.492	31.487
			35.	शिवपुर (बतौली)	57	2.318	4.230	6.548
			36.	कुनकुरी	62	0.223	0.989	1.212
				योग		**177.055**	**379.810**	**556.865**
7.		सीतापुर	1.	भवराडांड़	81	0.000	0.980	0.980
			2.	उलकिया	91	4.413	10.277	14.690
			3.	ढेकीडोली	82	0.000	1.240	1.240
			4.	सहनपुर	90	0.000	0.360	0.360
			5.	देवगढ़	81	0.094	0.344	0.438
			6.	धरमपुर	90	0.000	0.240	0.240
			7.	रजपुरी	95	0.796	0.000	0.796
			8.	भूसु	90	0.000	0.244	0.244

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	सीतापुर	9.	बेलजोरा	90	1.211	5.241	6.452
				योग		**6.514**	**18.925**	**25.439**
8.	कारखाना गेट	लखनपुर	1.	सलका	58	0.000	0.383	0.383
			2.	गुमगराकला	59	1.150	2.670	3.820
			3.	बिनकरा	56	0.000	0.394	0.394
			4.	गुमगराखुर्द	61	0.280	0.102	0.382
				टोटल		**1.430**	**3.548**	**4.978**

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्रमांक/4341/PA-54/नग्रानि./2014.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में सराईपाली निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 190 महासमुन्द, दिनांक दिनांक 02-03-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सराईपाली निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सराईपाली निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लुकापारा, बालसी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बालसी, पतेरापाली, झिलमिला, कुटेला की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कुटेला, जोगनीपाली, सानपंथी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सानपंथी, हर्राटार, लुकापारा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) परिसर, महासमुन्द कक्ष क्रमांक-14 मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.).

No./4341/PA-54/T.C.P./2014.—The existing land use map and register for the Saraipali Planning Area existing land use map and register was published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 190 date 02-03-2015 of Mahasamund.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Saraipali Planning Area existing land use map and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

INDEX

Saraipali Planning Area

NORTH	:	Village Lukapara & upto Northern limit of Village Balsi.
EAST	:	Village Balsi, Paterapali, Chilmila & upto Eastern limit of Village-Kutela.
SOUTH	:	Village Kutela, Jognipali & upto Southern limit of Village-Sanpanthi.
WEST	:	Village Sanpanthi, Haratar & upto Western limit of Village-Lukapara.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning office of the SDO (Revenue) campus, Mahasamund, Room No. 14, Main Road, Mahasamund (C.G.)

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1685/व.भू.उप./नग्रानि/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में पाली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 17 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 723 कोरबा, दिनांक 27-06-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पाली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 17 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पाली निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम पोड़ी, सैला, मादन, पाली, धौराभाठा एवं नुनेरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम नुनेरा एवं नुनेरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नुनेरा, करतली, तेन्दूभाठा, मूनगाडीह, तालपार एवं ठुकुपधरा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम ठुकुपधरा एवं पोड़ी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया आर.टी.ओ. कार्यालय के पास रामपुर, कोरबा (छत्तीसगढ़)

No. 1685/ELU/TCP/2015.—The existing land use map and register for the Pali Planning Area of 17 Villages have been included for which the existing land use maps and register was Published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 723, 27 June 2015 of Korba.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use maps and register of Pali Planning Area of 17 Villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Dy. Director, Town & Country Planning Korba (C.G.) under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Pali Planning Area Limits

NORTH	:	Village Podi, Shaila, Madan, Pali, Dhaurabhatha, Nunera and upto the North limit.
EAST	:	Village Nunera and Nunera upto the East limit.
SOUTH	:	Village Nunera, Kartali, Tendubhatha, Mungadih, Talpar, Thukupdhara and upto the South limit.
WEST	:	Village Thukupdhara, Podi and upto the West limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Near R.T.O. Office Rampur, Korba (C.G.)

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक/467/अधीक्षक/2016.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2344/अधीक्षक/2015 दिनांक 13-03-2015 द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा को नगर दण्डाधिकारी (थाना कोतवाली/रामपुर/दर्री/बालको/कुसमुण्डा क्षेत्र के लिए) का प्रभार सौंपा गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए श्री विश्वास राव मेश्राम, डिप्टी कलेक्टर कोरबा को आगामी आदेश पर्यन्त सौंपे गए कार्य के साथ, नगर दण्डाधिकारी, कोरबा का प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पी. दयानंद,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्रमांक/17/अजिद/एस डब्ल्यू/2016.—रायपुर नगर की गुढ़ियारी क्षेत्र में घनी आबादी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण तथा सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण अधिकांश समय यातायात प्रभावित होता रहता है, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है.

2. उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, रायपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में प्रात: 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे के मध्य भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है.

3. उक्त क्षेत्र की उल्लेखित स्थिति को देखते हुए तथा उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, रायपुर के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए मैं ठाकुर राम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए रायपुर शहर के गुढ़ियारी क्षेत्र के समस्त मार्गों में मध्यम/भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को जन सुरक्षा के दृष्टिकोण प्रात: 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित करता हूं.

यह आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

राम सिंह,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/255/दो-2-17/2006.—श्री ए. एल. जोशी, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/256/दो-2-17/2006.—श्री ए. एल. जोशी, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/262/दो-2-13/2009.—श्री गौतम चौरड़िया, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-11-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक/02/चार-3-2/2006.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06, दिनांक 31-10-2006 सहपठित आदेश क्रमांक 5903/1512/21-ब/छ.ग./2010, दिनांक 14-06-2010 के आलोक में श्री गौतम चौरडिया, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार गणवेश भत्ता स्वीकृत किया जाता है :—

अवधि जिसके लिए गणवेश भत्ता स्वीकृत की जा रही है	गणवेश भत्ता की दर	गणवेश भत्ता की राशि
1. 01-01-2012 से 31-12-2014 = 03 वर्ष	6000/- प्रति 3 वर्ष के लिए	6000/-
2. 01-01-2015 से 31-12-2017 = 03 वर्ष	6000/- प्रति 3 वर्ष के लिए	6000/-
	योग	**12000/-**
		(शब्दों में-बारह हजार रुपये मात्र)

उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्त वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन-102-उच्च न्यायालय (5421) छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी 01 वेतन भत्ते आदि 014-अन्य भत्ते के तहत उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 4/दो-2-4/2004.—श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-12-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 5/दो-2-4/2004.—श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-12-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 6/दो-2-4/2009.—श्री अशोक कुमार साहू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-12-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 7/दो-2-17/2006.—श्री ए. एल. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-12-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 8/दो–2–11/2008.—श्री आनन्द कुमार ध्रुव, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर–चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15–12–2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2013 से 31–10–2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 9/दो–3–34/2008.—श्री संजय कुमार जायसवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05–12–2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2013 से 31–10–2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक 10/दो–3–27/2007.—श्रीमति नीता यादव, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05–11–2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2013 से 31–10–2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक 24/दो–2–13/2007.—श्री नूरदीन तिगाला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23–12–2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2013 से 31–10–2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक 30/दो–2–17/2015.—श्री बलराम प्रसाद वर्मा, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ वर्तमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जांजगीर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30–11–2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2013 से 31–10–2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.